भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2870
बुधवार, 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

मइलादुथुरई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में तटीय अपरदन

†2870. कु. सुधा आर.:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मइलादुथुरई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, जो कि तटीय अपरदन के प्रकोप से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, में मृदा अपरदन को रोकने के लिए पूर्ण हो चुकी और अभी चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के तटीय राज्यों में वर्ष 2014 से तटीय अपरदन-रोधी चल रही और पूर्ण की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तटीय अपरदन-रोधी परियोजनाओं पर वर्ष 2014 से व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मइलादुथुरई लोक सभा क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों के लिए किसी तटबंध या ऐसे अन्य तटीय अपरदन-रोधी उपायों की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) के माध्यम से, भारतीय तट के किनारे समुद्र-तट रेखा में होने वाले बदलावों पर निगरानी बनाए रखता है और तटीय प्रबंधन में सहायता के लिए वैज्ञानिक आकलन उपलब्ध कराता है। समुद्र-तट के कटाव से बचाव के उपाय की योजना और उनको लागू करना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, लागू योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग (CWC), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदि जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पात्र तटीय सुरक्षा कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के 1990-2022 के दौरान तटरेखा में बदलावों के आकलन से पता चलता है कि मइलादुथुराई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 71% तटरेखा कटाव की चपेट में है, जबकि 16.3% स्थिर रही और 12.7% में जमाव देखा गया था।

केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले दस सालों में इस निर्वाचन क्षेत्र में तटीय कटाव से बचाव के कामों के लिए 'बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम' (FMBAP) के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (TNSDMA) के ज़रिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (PPR) सौंपी है। इसमें मयिलादुथुराई ज़िले समेत तमिलनाडु के कई ज़िलों में तटीय कटाव को रोकने के कामों के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से आर्थिक मदद मांगी गई है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में, इस प्रस्ताव को तकनीकी जांच के लिए केंद्रीय जल आयोग के पास भेजा गया था। प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट पर केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं ताकि आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(ख)और (ग) तटीय कटाव से बचाव के काम संबंधित तटीय राज्य सरकारों और संघ राज्यों के प्रशासन द्वारा किए जाते हैं।

2014 से तटीय कटाव से बचाव के लिए किए गए कामों और उन पर हुए खर्च का राज्य/संघ राज्यों के अनुसार विवरण, जो तटीय राज्यों/संघ राज्यों ने केंद्रीय जल आयोग (CWC) को सौंपा है, **अनुलग्नक -I** में दिया गया है।

(घ) तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (TNSDMA) के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा शमन कोश फंड (NDMF) के तहत एक शुरुआती प्रोजेक्ट रिपोर्ट (PPR) सौंपी है। इसमें मइलादुथुराई ज़िले में समुद्र तट के कटाव को रोकने के उपाय सुझाए गए हैं। इन उपायों में नदी के बहाव को नियंत्रित करने वाली दीवार (रिवर ट्रेनिंग वॉल) बनाना, जियोट्यूब का उपयोग करके पानी के नीचे रीफ़ बनाना और तरंगमबाड़ी तालुक में मौजूद समुद्री दीवार (सी-वॉल) को गैबियन बॉक्स की सहायता से ठीक करना शामिल है। यह प्रस्ताव अभी केंद्रीय जल आयोग के पास तकनीकी समीक्षा के लिए है और प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट पर केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियाँ आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

अनुलग्नक – I

तालिका 1: पिछले 10 सालों में (2014 से 2024 तक) अपनाए गए तटीय संरक्षण उपायों की राज्य-वार जानकारी (जानकारी संबंधित समुद्री राज्यों/ संघ राज्यों द्वारा दी गई है) (*सितंबर 2024 में तटीय क्षेत्र प्रबंधन पर स्थिति रिपोर्ट से लिया गया अंश)*

क्र.सं.	**राज्य**	**संरक्षित तटरेखा की लंबाई (किमी)**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपये)**	**वित्तपोषण का स्रोत**
1	गुजरात	26.489	201.277	राज्य सरकार
2	महाराष्ट्र	19.423	174.470	राज्य सरकार
3	गोवा, दमन और दीव	9.193	73.160	राज्य सरकार
4	कर्नाटक	54.807	872.631	राज्य, एडीबी ऋण
5	केरल	68.1178	657.872	राज्य सरकार
6	तमिलनाडु	30.400	302.350	13वां वित्त आयोग, नाबार्ड, राज्य निधि
7	आंध्र प्रदेश	सूचना नहीं प्रदान की गई।		
8	ओडिशा	6.820	144.110	राज्य, आरआईडीएफ, नाबार्ड
9	पश्चिम बंगाल	12.715	215.520	राज्य सरकार
	कुल करोड़ रुपये	**227.965**	**2641.39**	

अगले 5 सालों (2024 से) में राज्य-वार प्रस्तावित या चल रहे तटीय सुरक्षा के काम (विवरण संबंधित समुद्री राज्यों/UTs द्वारा दिया गया है) (*सितंबर 2024 में तटीय क्षेत्र प्रबंधन पर स्थिति रिपोर्ट से लिया गया अंश)*

क्र.सं.	**राज्य**	**संरक्षित तटरेखा की लंबाई (किमी)**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपये)**	**वित्तपोषण का स्रोत**
1	गुजरात	49.25	677.115	राज्य सरकार
2	महाराष्ट्र	28.77	282.42	राज्य सरकार
3	गोवा, दमन और दीव	0.97	28.05	राज्य सरकार
4	कर्नाटक	33.34	556.35	राज्य, एडीबी ऋण
5	केरल	138.024	2974.35	राज्य सरकार

6	तमिलनाडु	43.06	2127.61	केंद्रीय निधि, नाबार्ड
7	आंध्र प्रदेश*	सूचना नहीं प्रदान की गई।		
8	ओडिशा	3.72	260.93	राज्य
9	पश्चिम बंगाल	1.58	16.05	राज्य सरकार
	कुल करोड़ रुपये	**298.714**	**6901.35**	

* APCZMA, आंध्र प्रदेश ने बताया है कि पिछले 10 सालों में, आंध्र प्रदेश के प्रभावित इलाकों/जिलों में कोई तटीय संरक्षण का कार्य नहीं किया गया है। हालांकि, पश्चिमी गोदावरी जिले, नेल्लोर जिले में कुछ परियोजनाओं और श्रीहरिकोटा के पास तट संरक्षण कार्यों के लिए इसरो (ISRO) को सुझाव भेजे गए हैं।
